भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4907

दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

आंतरिक सुरक्षा

4907. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने हेतु इसकी समीक्षा की है;

(ख) क्या सरकार का देश में आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने हेतु एक नई योजना के अंतर्गत सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): सरकार देश में आंतरिक सुरक्षा स्थिति की नियमित आधार पर समीक्षा करती है तथा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं का समाधान करने के लिए समुचित उपाय करती है। केंद्र और राज्य स्तरों पर सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों के बीच नजदीकी और प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाता है। सुरक्षा बलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए सरकार द्वारा 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में, इस योजना के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 23.07.2019 का लो.स.अता.प्र.सं.4907

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' (पूर्ववर्ती पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम) की उप-योजना के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
1.	आंध्र प्रदेश	22.68	41.1	29.87	31.62	26.48	50.8086
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.64	2.69	4.79	3.42	4.25	1.034
3.	असम	24.47	4.68	32.23	5.48	28.57	5.6722
4.	बिहार	25.62	19.15	33.73	5.73	29.90	13.1778
5.	छतीसगढ़	9.01	1.73	11.87	2.02	10.52	8.5634
6.	गोवा	0.95	0.18	1.25	0.21	1.11	0.21
7.	गुजरात	23.72	43.22	31.24	33.05	27.69	52.623
8.	हरियाणा	10.64	19.29	14.01	14.04	12.43	12.947
9.	हिमाचल प्रदेश	4.88	5.58	4.28	4.09	3.79	3.3516
10.	जम्मू और कश्मीर	37.00	34.54	48.73	48.00	43.19	32.685
11.	झारखंड	8.54	1.64	11.24	1.91	9.97	9.9142
12.	कर्नाटक	35.58	72.04	46.85	17.12	41.53	11.39
13.	केरल	14.94	11.09	19.68	16.12	17.44	17.784
14.	मध्य प्रदेश	25.14	21.86	33.11	30.47	29.34	37.968
15.	महाराष्ट्र	43.69	12.8	57.54	9.78	51.00	9.579
16.	मणिपुर	8.85	8.37	11.66	1.98	10.34	5.994
17.	मेघालय	3.48	0.67	4.58	2.60	4.07	3.6628
18.	मिजोरम	4.43	8.12	5.83	6.17	5.16	8.377
19.	नागालैंड	9.96	18.05	13.12	13.88	11.63	18.876
20.	ओडिशा	14.47	26.22	19.05	19.87	16.89	35.099
21.	पंजाब	15.23	27.6	20.05	20.07	17.77	36.515
22.	राजस्थान	28.99	34.54	38.17	40.38	33.83	62.592
23.	सिक्किम	1.64	1.96	2.17	2.39	1.92	0.362
24.	तमिलनाडु	32.31	89.24	42.54	15.54	37.70	68.868
25.	त्रिपुरा	7.28	1.4	9.58	1.63	8.49	7.078
26.	तेलंगाना	16.22	29.4	21.35	22.60	18.93	64.168
27.	उत्तर प्रदेश	58.59	35.8	77.16	28.20	68.39	118.671
28.	उत्तराखंड	4.68	8.53	4.11	4.35	3.64	13.601
29.	पश्चिम बंगाल	26.80	12.31	35.3	48.94	31.28	46.9332
	कुल	**523.43**	**593.80**	**685.09**	**451.66**	**607.25**	**758.5048**
	आकस्मिकता रिजर्व^	29.75		38.45		38.45	
	महानगरीय पुलिस व्यवस्था^	41.82		45.00		45.00	
	पीएमयू**, इत्यादि		0.22	0.45	0.09	1.40	1.2416
	पुलिस सुधार के लिए प्रोत्साहन^					76.90	
	पृथक परियोजना*						9.08
	कुल योग	**595.00**	**594.02**	**769.00 (RE 452.10)**	**451.75**	**769.00**	**768.8264**

* आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड्स प्रशिक्षण केंद्र **कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट ^ संबंधित राज्य के सामने दर्शाई गई इन निधियों की निर्मुक्ति।

नोटः आबंटन और निर्मुक्ति के आंकड़ों में राज्यों को हथियारों की सप्लाई के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को जारी निधियां शामिल हैं। निर्मुक्तियां आवंटनों की तुलना में भिन्न हैं। जहां निर्मुक्ति आवंटन की तुलना में कम है, वहां यह उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूजी) प्रस्तुत नहीं करने के कारण है और जहां निर्मुक्ति आवंटन से अधिक है, वहां यह महानगरीय पुलिस व्यवस्था अथवा/और अनुपूरक निर्मुक्तियों अथवा/और बेहतर कार्य निष्पादन प्रोत्साहनों अथवा/और पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहनों के लिए की गई निर्मुक्तियों के कारण है।

****